

प्रेस नोट

थाना- सीपरी बाजार, जिला-झाँसी

दिनांक:- 10.09.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार,
- गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है,

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री विकास कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 09.09.2026 को थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा एसआईसी स्कूल के सामने खाली पड़े मैदान में पेड के नीचे थाना क्षेत्र सीपरी बाजार झाँसी से अभियुक्त भानू रायकवार पुत्र स्व रंजीत रायकवार निवासी न्यू प्रेमगंज थाना सीपरी बाजार जिला झाँसी उम्र 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 03 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 422/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का विवरण

1. भानू रायकवार पुत्र स्व रंजीत रायकवार निवासी न्यू प्रेमगंज थाना सीपरी बाजार जिला झाँसी उम्र 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण:—

1. 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 03 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 748/2020 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी
2. मु0अ0सं0 462/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी
3. मु0अ0सं0 136/2025 धारा 109(1)/3(5)/351(2)/352/61(2) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी
4. मु0अ0सं0 422/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र०नि० जय प्रकाश चौबे, थाना सीपरी बाजार
2. उ०नि० बृजेश कुमार साहू, चौकी प्रभारी लहरगिर्द, थाना सीपरी बाजार
3. हे०का० 108 अवधेश कुमार, थाना सीपरी बाजार
4. का० 1718 रूकमंगल सिंह, थाना सीपरी बाजार